>

Title: Need to give environmental clearance to construct sluice gate in North Koel Irrigation Project in Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का कार्य वर्ष 1975 में प्रारंभ हुआ । आरंभ में इस परियोजना की कुल लागत मात्र 30 करोड़ रूपये थी परंतु इस परियोजना पर अब तक 800 करोड़ रूपया खर्च होने के बावजूद भी परियोजना अधूरी है । जबकि स्थापना व्यय प्रतिवर्ष 12 करोड़ रूपया आवर्ती रूप से खर्च हो रहा हैं इस परियोजना के पूर्ण् होने से बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों में लगभग 1 लाख 25 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की व्यवस्था के साथ ही 25 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा ।

वर्ष 2007 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वनभूमि में जल जमाव के कारणों वनभूमि के उपयोग के बदले वनीकरण हेतु आवश्यक जमीन की उपलबधता की शर्तों के कारण इस डैम में लोहे का फाटक (स्लूईस गेट) लगाने पर पाबंदी लगा दी है जिस कारण डैम में जल का भंडारण नहीं हो पा रहा है और करीब 125000 किसान एवं खेतीहर मजदूर जो कृषि पर निर्भर है सिंचाई सुविधा के अभाव में भूखमरी के कगार पर है । जबकि इस परियोजना से जुड़ी नहरें भी खोदी जा चुकी है । मेरी सरकार से मांग है कि इस सिंचाई परियोजना हेतु वनभूमि के उपयोग के बदले वनीकरण हेतु आवश्यक जमीन दिये जाने की शर्तों को विलोपित करते हुए डैम में स्लूइस गेट लगाने के प्रतिबंध को हटाया जाय जिससे कृषि पर निर्भर इस क्षेत्र की लाखों की आबादी की इस परियोजना का लाभ मिल सके ।